उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

संख्या-9/2024/आई/522016/2024/फा0नं0-10-22099/409/2020

लखनऊ: दिनांक: 16 मार्च, 2024

उत्तर प्रदश शासन के समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्क्ष एवं कोषाधिकारियों को भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-42/04/2024-पी0एण्डपी0डब्लू0(डी0) दिनांक 13 मार्च, 2024 की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अखिल भारतीय सेवाओं के पेशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को उक्त आदेशानुसार महंगाई राहत का भुगतान किया जायेगा।

नील रतन कुमार

विशेष सचिव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)-द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- निदेशक, पेंशन निदेशालय, इन्दिरा भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहारादून।
5- निदेशक, पेंशन, उत्तराखण्ड, देहारादून।
6- निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहारादून।
7- समस्त राज्यों के प्रमुख सचिव, वित्त।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।